143/19-01-2021

दिनांक– 13.01.2021 को अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– यथा पंजी संधारित।

दिनांक– 13.01.2021 को अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों की समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में समीक्षोपरान्त निम्नाकिंत बिन्दुओं पर आवश्यक निर्णय लिए गए एवं निदेश दिए गएः–

(i) आधुनिक अभिलेखागार भवनः– बैठक में प्रतिवेदित किया गया कि आधुनिक अभिलेखागार भवनों के लिए आवश्यक सामग्री की उपलब्धता के लिए जिला पदाधिकारियों से वार्त्ता की गई है।

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि निदेशक स्तर से सभी सम्बन्धित जिला पदाधिकारियों को अर्द्धशासकीय पत्र दिया जाए एवं इस कार्य में हुए विलंब के लिए दोषी पदाधिकारी/कर्मी की पहचान एवं जाँच करने तथा जनवरी माह के अन्त तक आधुनिक अभिलेखागार भवन को क्रियाशील बनाने का अनुरोध किया जाए। साथ ही 436 अंचलों के अतिरिक्त जिन अंचलों में आधुनिक अभिलेखागार भवन के लिए किराए पर भवन लिया जाना है, वहाँ के सम्बन्ध में आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर उपस्थापित किया जाए।

(ii) बन्दोबस्त पदाधिकारियों के लिए MIS :– बैठक में प्रतिवेदित किया गया कि नवपदस्थापित बन्दोबस्त पदाधिकारियों के अनुश्रवण के लिए MIS तैयार किया जा रहा है।

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि वर्त्तमान समय में संधारित MIS के निर्धारित बिन्दुओं की समीक्षा करते हुए बन्दोबस्त पदाधिकारियों के लिए निर्धारित दायित्त्वों के अनुरूप MIS तैयार कर आगामी बैठक में उपस्थापित किया जाए।

(iii) ETS का क्रय :– प्रतिवेदित किया किया गया कि 550 E.T.S मशीन खरीदने का प्रस्ताव तैयार कर आवश्यक राशि के आवंटन के लिए योजना एवं विकास विभाग से राशि की मांग की जा रही है।

वर्त्तमान में विशेष सर्वेक्षण कार्य में E.T.S मशीन की अनिवार्यता को देखते हुए विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि तत्काल विशेष सर्वेक्षण के लिए चयनित 20 जिलों में प्रत्येक जिले को 2 E.T.S मशीन की आपूर्ति किया जाना आवश्यक है। अतः निदेशालय द्वारा तत्काल DILRMP के ब्याज की राशि से 40 E.T.S मशीन खरीदने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय लिया गया।

(iv) क्षेत्रीय प्रशिक्षणः– बैठक में प्रतिवेदित किया गया कि विशेष सर्वेक्षण अमीनों को क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण देने का निदेश जिला बन्दोबस्त कार्यालयों को दिया गया था, जिसका अनुपालन MIS प्रतिवेदन के अनुसार लगभग शतप्रतिशत जिलों द्वारा कर लिया गया है।

निर्णय लिया गया कि वर्त्तमान MIS के प्रतिवेदन से इस बिन्दु को हटा दिया जाए एवं मुख्यालय स्तर से क्षेत्रीय कर्मियों के Skill Test लेने की व्यवस्था की जाए।

(v) सरकारी एवं बन्दोबस्ती भूमि की सूची :– प्रतिवेदित किया गया कि जिला स्तर पर विभिन्न विभागों एवं अंचलों द्वारा सरकारी एवं बन्दोबस्त भूमि की सूची बन्दोबस्त कार्यालयों/शिविरों को उपलब्ध कराई जा रही है एवं जिलों में प्राप्त सूची के आधार पर MIS की प्रविष्टि की जाती है।

विमर्शोपरान्त निर्णय लिया गया कि अलग–अलग जिलों में किन–किन विभागों द्वारा कितना जमीन का ब्यौरा उपलब्ध कराया गया है, इसका प्रतिवेदन जिलावार एवं विभागवार तैयार कर समीक्षा हेतु आगामी समीक्षात्मक बैठक में उपस्थापित किया जाए।

(vi) खतियान लेखन एवं सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि :– प्रतिवेदित किया गया कि वर्त्तमान समय में विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अर्न्तगत विशेष सर्वेक्षण अमीनों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में खतियानी विवरणी (प्रपत्र–5) तैयार कर उसकी प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में की जाती है, जिसका ऑनलाईन प्रतिवेदन MIS के कॉलम 9 एवं 11 के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि सिर्फ खतियानी विवरणी के सॉफ्टवेयर में कॉलम–11 की समीक्षा MIS के माध्यम से की जाए एवं यथाशीघ्र इस कार्य को पूर्ण किया जाए।

(vii) स्वघोषणा एवं वंशावली की MIS प्रविष्टि :– प्रतिवेदित किया गया कि विशेष सर्वेक्षण शिविरों द्वारा रैयतों से प्राप्त स्वघोषणा एवं वंशावली की स्कैनिंग करके भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाता है एवं MIS के माध्यम से ग्राम के कुल खेसरों के 15 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

विमर्शोपरान्त निर्णय लिया गया कि MIS में ग्राम के कुल खेसरों के 25 प्रतिशत के अनुसार लक्ष्य का निर्धारण किया जाए।

(viii) विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों की जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक :– प्रतिवेदित किया गया कि वर्त्तमान समय में जिला स्तर पर विशेष सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा बन्दोबस्त पदाधिकारी के स्तर से माह में एक बार तथा प्रभारी पदाधिकारी के स्तर से माह में दो बार समीक्षा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। MIS के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन में इसका शतप्रतिशत अनुपालन किया गया है।

विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि वर्त्तमान समय में जिलों में बन्दोबस्त पदाधिकारियों के स्वतंत्र पदस्थापन को देखते हुए सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा माह में दो बार समीक्षात्मक बैठक की जाए। समीक्षात्मक बैठकों के लिए विगत बैठकों की कार्यवाहियों के आधार पर बैठक के मुख्य बिन्दुओं का निर्धारण किया जाए एवं इन्हीं बिन्दुओं के आधार पर MIS में बैठक सम्बन्धी प्रविष्टि भी की जाए। साथ ही बन्दोबस्त पदाधिकारियों का प्रत्येक सप्ताह दो ग्रामों का तथा प्रभारी पदाधिकारियों का प्रत्येक सप्ताह एक शिविर का भ्रमण एवं निरीक्षण करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही भ्रमण सम्बन्धी Template भी तैयार कर निदेशालय द्वारा जिला बन्दोबस्त कार्यालयों को उपलब्ध कराया जाए।

(ix) विशेष सर्वेक्षण सम्बन्धी जन–जागरूकता :– प्रतिवेदित किया गया कि वर्त्तमान समय में जिलों द्वारा बैनर, होर्डिंग पोस्टर एवं माइकिंग के माध्यम से की जा रही जन–जागरूकता के आधार पर MIS में प्रविष्टि की जाती है और सभी जिलों द्वारा शतप्रतिशत इसका अनुपालन किया गया है।

निदेश दिया गया कि जन–जागरूकता सम्बन्धी कार्य के अनुश्रवण के लिए आवश्यक है कि लगाए गए बैनर, होर्डिंग का लोकेशन/फोटो प्राप्त किया जाए और माइकिंग की तिथि संधारित की जाए।

(x) DILRMP के तहत भारत सरकार को समर्पित किए जानेवाले प्रस्ताव :– प्रतिवेदित किया गया कि क्षमतावर्धन सम्बन्धी प्रस्ताव को संशोधित कर भेजा गया है एवं RSTI, बोधगया के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया कि निदेशालय स्तर से समर्पित किए गए कुछ प्रस्तावों के विषय यथा अंचल स्तरीय डाटा सेन्टर, Interconnectivity को भारत सरकार द्वारा निर्धारित सूची से बाहर कर दिया गया है।

निर्णय लिया गया कि सभी लंबित प्रस्तावों को यथाशीघ्र भारत सरकार को समर्पित कर दिया जाए।

(xi) भू–नक्शा सॉफ्टवेयर एवं Texual and Spatial Data Integration :– प्रतिवेदित किया गया कि निदेशानुसार कमिटी की बैठक की गई है और निबन्धन विभाग से इस सम्बन्ध में प्रस्ताव की मांग की गई है।

विमर्शोपरान्त तय किया गया कि निदेशालय स्तर पर विशेष सर्वेक्षण उपरान्त तैयार होने वाले अधिकार–अभिलेखों एवं मानचित्रों को निरंतर अद्यतन करने के उद्देश्य से दाखिल–खारिज की प्रक्रिया से इसको संबंद्ध करने के लिए दाखिल–खारिज अधिनियम एवं नियमावली में जिन संशोधनों की आवश्यकता होगी उनके सम्बन्ध में निदेशालय द्वारा दिनांक–22.01.2021 तक प्रस्ताव तैयार कर विभाग को समर्पित किया जाए ताकि भू–नक्शा सॉफ्टवेयर के माध्यम से होनवाले Spatial Data के अद्यतीकरण की प्रक्रिया को Texual Data के साथ Integrate कर Texual and Spatial Data Integration की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके।

(xii) बन्दोबस्त पदाधिकारियों की सुविधाओं के सम्बन्ध में :– बैठक में प्रतिवेदित किया गया कि बन्दोबस्त पदाधिकारियों के वाहन एवं कार्यालय आवास के लिए जिला पदाधिकारी को पत्र दिया गया है।

विचार किया गया कि बन्दोबस्त पदाधिकारियों को वाहन, आवास, कार्यालय एवं कर्मियों की सुविधा यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में जिला पदाधिकारी से संपर्क किया जाए एवं इनके लिए आवश्यक आवंटन एवं कर्मी जिला बन्दोबस्त कार्यालयों को उपलब्ध कराया जाए।

(xiii) विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में लगाए जाने वाले पिलर के सम्बन्ध में :– बैठक में प्रतिवेदित किया गया कि विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में पिलरों के अधिष्ठापन को बन्दोबस्त कार्यालयों के माध्यम से किए जाने का अनुमोदन विभागीय मंत्री के स्तर से प्राप्त हो गया है एवं इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

विमर्शोपरान्त निर्णय लिया गया कि जिलों में चलने वाले शिविरों की संख्या और कार्य प्रारंभ ग्रामों की संख्या के अनुसार पिलरों की संख्या का आकलन कर जिलों को आवश्यकतानुसार आवंटन उपलब्ध कराया जाए।

(xiv) मानचित्रों की Door Step Delivery :– बैठक में प्रतिवेदित किया गया कि विगत सर्वेक्षण के उपलब्ध मानचित्रों के Door Step Delivery योजना की सभी तैयारियाँ पूर्ण की जा रही हैं एवं प्रारंभ किए जाने की प्रस्तावित तिथि 26 जनवरी, 2021 है।

निर्णय लिया गया कि Door Step Delivery की योजना को 29 जनवरी, 2021 से प्रारंभ किया जाए। इस संदर्भ में उसके पूर्ण प्रचार–प्रसार का निर्णय लिया गया।

(xv) हवाई सर्वेक्षण एजेंसियाँ की समीक्षा :– प्रतिवेदित किया गया कि विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा MoU के अनुसार कर्मियों और संसाधनों को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, आई0आई0सी0 से स्पष्टीकरण किया गया है और एजेंसी द्वारा अपना पक्ष भी समर्पित किया गया है, किन्तु अभी तक आई0आई0सी0 एजेंसी द्वारा आवंटित सभी जिलों में अपना कार्यालय नहीं खोला गया है। समीक्षात्मक बैठक में दिए गए निदेशों का अनुपालन भी नहीं किया गया है।

निर्णय लिया गया कि हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के कारण विशेष सर्वेक्षण कार्यों में हो रही बाधा को देखते हुए इस सम्बन्ध में कठोर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। अतः तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों की समीक्षा कर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली एजेंसी को पुनः स्पष्टीकरण किया जाए एवं भविष्य में की जानेवाली आवश्यक वैधानिक कार्यवाहियों के संबंध में तैयारी पूर्ण कर ली जाए एवं शेष दो एजेंसियों से वार्त्ता कर अग्रतर कार्रवाई की जाए।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(जय सिंह)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।
19/1/21

ज्ञापांकः – 17–विशेष सर्वेक्षण कार्यवाही – 84/2019....143.... **पटना, दिनांक** :–19-01-2021

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप/उपनिदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना /प्रभारी तकनीकी कोषांग/सभी नोडल पदाधिकारी/श्री राजेश कुमार सिंह, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी/श्री चंदन कुमार, जी0आई0एस0 सलाहकार/श्री विजय सम्राज्य, सहायक, बी0पी0एम0यू0 भू–अभिलेख एवं परिमाप, निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–विशेष सर्वेक्षण कार्यवाही – 84/2019....143.... **पटना, दिनांक** :–19-01-2021

प्रतिलिपिः– सभी प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–विशेष सर्वेक्षण कार्यवाही – 84/2019....143.... **पटना, दिनांक** :–19-01-2021

प्रतिलिपिः– सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–विशेष सर्वेक्षण कार्यवाही – 84/2019....143.... **पटना, दिनांक** :–19-01-2021

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
19/1/21